

दो मोबाइल लूटरे गिरफ्तार, लूटा गया मोबाइल व घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 प्रेशन प्रो0 बरामद:- दिनांक 23.8.20 को वादी तसलीम पुत्र शाबीर हुसैन नि0 पावी सादकपुर थाना ट्रानिका सिटी गा0बाद द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि दो मो0सा0 सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अल्फा चौक ट्रानिका सिटी के पास उसका मोबाइल छीन कर फरार हो गये है जिसके सम्बन्ध मे तत्काल मुकदमा दर्ज कर अज्ञात मो0सा0 सवार मोबाइल छीनने वाले व्यक्तियों की तलाश की गयी ।श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद के द्वारा अपाधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन मे थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के करीब 3 घण्टे के अन्दर अभियुक्तों की शिनाख्त 1.सलमान उर्फ सल्लू पुत्र जाकिर नि0 खानपुर जमी मस्जिद के पास थाना ट्रानिका सिटी गा0बाद 2.शाहरुख पुत्र आस मौ0 नि0 खानपुर जमी शिव मन्दिर थाना ट्रानिका सिटी गा0बाद कर गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनसे वादी का लूटा गया मोबाइल ओपो-35 एवं घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 प्रेशन प्रो0न0 U.P-14 BB-3587 बरामद की गयी । अभि0 शातिर किस्म के अपराधी है अभि0 शाहरुख मोबाइल लूट के मामले मे पूर्व मे भी जेल जा चुका है विस्तृत पूछताछ की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण - अभि0गण ने पूछताछ करने पर बताया कि वह ट्रानिका सिटी फैक्ट्री मे ही काम करते है और फैक्ट्री से निकलने वाले पुरुष/ महिलाओ से मौका पाकर मोबाइल छीन कर फरार हो जाते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण व आपराधिक इतिहास

1.सलमान उर्फ सल्लू पुत्र जाकिर नि0 खानपुर जमी मस्जिद के पास थाना ट्रानिका सिटी

(1)मु0अ0सं0 509/20 धारा 392/411भादवि थाना ट्रानिका सिटी गा0बाद

2. शाहरुख पुत्र आस मौ0 नि0 खानपुर जमी शिव मन्दिर के पास थाना ट्रानिका सिटी

(1)मु0अ0सं0 736/15 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रानिकासिटी गा0बाद

(2)मु0अ0सं0 176/16 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना ट्रानिकासिटी गा0बाद

(3)मु0अ0सं0 509/20 धारा 392/411भादवि थाना ट्रानिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण

(1) एक मोबाइल ओपो-35

(2) एक मोटर साईकिल प्रेशन प्रो घटना मे प्रयुक्त

थाना लोनी पर एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित एक नफर अभियुक्त

गिरफ्तार:- थाना लोनी पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र मे अवैध हथियारो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अभि0 सलीम उर्फ मोनू पुत्र पप्पू निवासी कच्ची कालोनी वार्ड नं0 1 मलिक नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज सहित शराब के ठेके वाले चौराहे से रामफल वाटिका की तरफ जाने वाली साईड दिशा पश्चिम दूरी 02 किमी हल्का ओपी खन्नानगर लोनी से दि0 23.08.2020 समय 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि अवैध तमन्चा का प्रयोग लोगो को डराने, धमकाने तथा शान शौकत बखारने के लिये करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सलीम उर्फ मोनू पुत्र पप्पू निवासी कच्ची कालोनी वार्ड नं0 1 मलिक नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद **अभियोगों का**

विवरण:-

1. मु0अ0सं0 684/2020 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा मु0अ0स0-862/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रवि को मय 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार:- थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्व पूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.08.2020 को समय करीब 8.30 बजे सै0-5/6 की पुलिसिया वैशाली ग्रीन बैल्ट हिन्दर एलिवेटीड के नीचे से अभियुक्त रवि पुत्र करन यादव निवासी गली न0-03 कृष्णा नगर बागू विजयनगर जनपद गाजियाबाद को मय एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रवि पुत्र करन यादव निवासी गली न0-03 कृष्णा नगर बागू कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद ।

अपराधिक इतिहास गैंगस्टर अभियुक्त रवि पुत्र करन -

- 1- मु0अ0स0 -1835/19 धारा 392/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद ।
- 2- मु0अ0स0 -1069/19 धारा 392/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद ।
- 3- मु0अ0स0 -862/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।
- 4- मु0अ0स0 -1520/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण -

- 1- एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अवैध शराब की ब्रिकी करने वाले 02 अभियुक्तगणों को मय 72 लीटर (288 पत्वे) इम्पेट ग्रीन अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार :- थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्व पूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.8.2020 सै0-12/14 वसुन्धरा ग्रीन बैल्ट चौराहे के पास से अभियुक्त 1. पंकज पुत्र प्रेमपाल निवासी 30 फुटा रोड के पास गली न0 -04 नन्दग्राम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद 2. अजय पुत्र खेमचंद निवासी सी ब्लाक टैम्पू स्टैण्ड रानी मंदिर के बराबर नन्दग्राम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को मय 72 लीटर अवैध अग्रेजी शराब इम्पेट ग्रीन हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. पंकज पुत्र प्रेमपाल निवासी 30 फुटा रोड के पास गली न0 -04 नन्दग्राम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद ।
2. अजय पुत्र खेमचंद निवासी सी ब्लाक टैम्पू स्टैण्ड रानी मंदिर के बराबर नन्दग्राम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज कुमार -

- 1- मु0अ0स0 - 1521/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय कुमार

- 1- मु0अ0स0 - 1521/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद ।

बरामदगी का विवरण -

1. 72 लीटर अवैध अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का (सम्बन्धित मु0अ0स0 -1521/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।

01 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा 40 पौआ देशी शराव हरियाणा मार्का व 2.5 लीटर अपमिश्रित शराव व 12 खाली पौआ नाजायाज बरामद:- थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 24.8.20 को ग्राम खानपुर शमशाद घाट के पास से समय 23.15 वजे रात्रि अभि0गण 1. रामजतन पुत्र मंचित साहनी निवासी म0न0- 518 एफ ब्लोक रामपार्क थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद को 40 पौआ देशी शराव हरियाणा मार्का व 2.5 लीटर अपमिश्रित शराव 12 पौआ खाली के गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका-

अभि0गण द्वारा हरियाणा प्रदेश से अवैध शराव की तस्करी करके यहां लाकर मंहमे दामों पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रामजतन पुत्र मंचित साहनी निवासी म0न0 - 518 एफ ब्लोक रामपार्क थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 511/2020 धारा 60/63 आव0 अधि0 व 272/273 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण -

1. 40 पौआ देशी शराव हरियाणा मार्का, 2.5 लीटर अपमिश्रित शराव, . 12 पौआ खाली।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 82 अद्द पव्वे अंग्रेजी

नाजायज शराब बरामद:- थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पुलिस द्वारा चैकिंग गस्त के दौरान सादिक की पुलिया कैला भट्टा से एक अभियुक्त साजिद पुत्र आस मौहम्मद नि0 म0नं0 891 कैला चौक मुख्यार होटल के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को 82 अद्द अवैध शराब क्रेजी रोमियो अरुणांचल प्रदेश मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. साजिद पुत्र आस मौहम्मद नि0 म0नं0 861 कैला चौक मुख्यार होटल के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 563/2020 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 82 अद्द नाजायज शराब क्रेजी रोमियों अरुणांचल प्रदेश मार्का।

गैंगस्टर एक्ट का वाछिंत एक नफर गिरफ्तार :- थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.08.2020 को बस स्टैण्ड मोदीनगर थाना मोदीनगर से गैंगस्टर एक्ट का वाछिंत एक नफर अभियुक्त गौतम पुत्र स्व0 रामकिशन निवासी गली न0 3 भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गा0बाद को गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 - 620/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पजीकृत है।

अपराध करने का तरीका -

अभियुक्त व अभियुक्त के भाईयों द्वारा गैंग बनाकर अवैध मादक पदार्थों का विक्रय/परिवहन करना।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त गौतम पुत्र रामकिशन निवासी भुपेन्द्रपुरी गली न0 3 थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 - 620/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मोदीनगर गाजियाबाद

हत्या के अभियोग में प्रकाश मे आयी 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार:- थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/20 धारा 365/302/201/394/411/34/120बी भादवि में प्रकाश मे आयी अभियुक्ता प्रीति पत्नी निलेश नि0 म0न0 36 गली नं0 2 आश्रम रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 24/08/2020 को मुखबिर की सूचना पर मोहन मिर्किंग्स सोसायटी क्वार्टर सी-20 से समय 13.07 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अपहृत संजय सैनी पुत्र जयप्रकाश सैनी नि0 मं0नं0 212 नवीन की चक्की के पास मालीवाडा का एक अदद मोबाइल ओपो प्राप्त हुआ ।

पूछताछ का विवरण-

दिनांक 08.02.2020 को वादी मुकदमा श्री जयप्रकाश सैनी पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 मं0नं0 212 नवीन की चक्की के पास मालीवाडा थाना सिहानीगेट की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 370/20 धारा 365 भादवि थाना स्थानीय पर पंजीकृत हुआ था आज दिनांक 24/08/2020 को मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश मे आयी अभियुक्ता प्रीति पत्नी निलेश नि0 म0न0 36 गली नं0 2 आश्रम रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को अपहृत संजय सैनी उपरोक्त के मोबाइल फोन ओपो सहित मोहन मिर्किंग्स सोसायटी क्वार्टर सी-20 से गिरफ्तार किया गया अभियुक्ता ने पूछने पर बताया कि दिनांक 02/07/2020 को संजय सैनी हमारे घर आया था मैंने सभी के लिये चाय भी बनायी थी फिर मेरे पति निलेश ,देवर दिनेश व दोस्त गौरव ने लोहे की राड से संजय सैनी की हत्या की थी मारते समय जब संजय सैनी चिल्लाया तो पड़ोसी आवाज सुनकर आये तो मैंने उन्हे पार्टी हो रही है, कहकर वापस भेज दिया था और उसका जो खून गिरा था मैंने व मेरे देवर दिनेश और गौरव ने साफ किया था और निलेश ,दिनेश और गौरव शव को पन्नी मे बाँधकर हिण्डन नदी मे फेक आये थे ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. अभियुक्ता प्रीति पत्नी निलेश नि0 म0न0 36 गली नं0 2 आश्रम रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 370/20 धारा 365/302/201/394/411/34/120बी भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद मोबाइल फोन ओपो सम्बन्धित मु0अ0सं0 370/20 धारा 365/302/201/394/411/34/120बी भादवि

